



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221875  
CG-DL-E-22092020-221875

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2887]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942

No. 2887]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

का.आ. 3235(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के, उप-नियम (3) के, खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, कोविड-19 महामारी के कारण 25 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि, अंतिम नियम या आदेश या अधिसूचना के प्रकाशन के लिए दिनों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।”

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1127(अ), तारीख 18 मार्च, 2020 को अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2020

**S.O. 3235 (E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: —

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 5, in sub- rule (3), in clause(d), the following Proviso shall be inserted, namely :-

“Provided that for the purpose of this clause, the period of national lockdown from 25<sup>th</sup> March, 2020 to 31<sup>st</sup> May, 2020 on account of COVID-19 pandemic shall be excluded for the purpose of counting the number of days for publication of the final rule or order or notification.”.

[F.No.25/03/2010-ESZ]

Dr SATISH C. GARKOTI, Scientist ‘G’

**Note:** The principal rules were published *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 1127 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2020.